

## न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 237/2023 (11/83/2023)

तारीख रजू : 21.09.2023 (02.08.2023)

निर्णय दिनांक : 15.05.2024

1. मातादीन पुत्र फुलचंद जाति जांगड़ा ब्राह्मण निवासी ढाणी कानूनगोवाली तन होलावास तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली-बहरोड।
2. किशोरी पुत्र रामजीलाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण
3. विशम्बरदयाल पुत्र किशोरी लाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण
4. श्यामलाल पुत्र किशोरीलाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण
5. सुनील कुमार पुत्र किशोरी लाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण
6. अनिल कुमार पुत्र किशोरी लाल जाति जांगड़ा ब्राह्मण  
निवासीयान ढाणी कानूनगोवाली तन होलावास तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड।

रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय इंतकाल संख्या 1858 दिनांक 16.06.2023 न्यायालय तहसीलदार बानसूर एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी

उपस्थित:-


01. श्री अनिल गुप्ता -वकील अपीलान्ट

02. श्री सुधीर शर्मा, श्री अनुप शर्मा - रेस्पोंडेन्टस संख्या 02 लगायत 05

---:: निर्णय ::---

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली-बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि मातादीन अपीलान्ट ने वाद बाबत इस्तकाररहक एवं तकसीम एवं हुक्मइन्तनाईदवामी विरुद्ध छीतर, रामस्वरूप, किशोर पुत्रान रामजीलाल एवं भूरा, मूला पुत्रान मोहन न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 257 रकबा 5 बीघा व 258 रकबा 5 विस्वा जिसके बंदोबस्त सम्वत 2021 मे 578 रकबा 6 बीघा मौजा खोहरी कायम किये गये। दौराने दावा दिनांक 04.02.1997 को न्यायालय हाजा मे राजीनामा पेश कर आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 6 बीघा मौजा खोहरी में वादी 1/3 भाग पर व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 2/3 भाग का काश्तकार किये जाने का पेश किया। न्यायालय सहायक जिलाधीश बानसूर के द्वारा दिनांक 06.03.1997 को राजस्व रिकार्ड के आधार पर 1/2 वादी को एवं 1/2 प्रतिवादी को काश्तकार घोषित कर प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 26.02.2001 को अंतिम डिक्री जारी की गई। जिसकी पालना में खसरा नम्बर 1361/716 रकबा 0.75 हैक्ट. का अपीलान्ट एवं खसरा नम्बर 1360/716 रकबा 0.75 हैक्ट. का प्रतिवादी 1 लगायत 3 को व खसरा नम्बर 715 रकबा 0.01 हैक्ट. का वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 3 को 1/2, 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी अलवर के किये जाने पर दिनांक 01.11.2012 को पुनः रिमाण्ड किये जाने पर प्रतिवादीगण के द्वारा एक प्रार्थनापत्र तहत अदालत में पेश कर राजस्व अंकन में दर्ज वादी के नाम को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर सहायक जिलाधीश बानसूर के द्वारा बगैर वादी को सुने वादी को नाम

  
जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड

राजस्व रिकार्ड में हटाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये और वादी का नाम हटाया जाकर खसरा नम्बर 716 का खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण को कर दिया गया। जिस राजस्व रिकार्ड के अमल में आने पर प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी मुतनाजा को बेचान करने की धमकी दी गई तो वाके द्वारा उक्त दावों में एक प्रार्थनापत्र 212 राजस्व काश्तकारी अधिनियम पेश कर स्थगन आदेश पारित किये गये। जिस आदेश के खिलाफ प्रतिवादीगण के द्वारा अपील भू प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश करने पर तहत अदालत का आदेश का प्रचलन स्थगित कर दिया। और तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के द्वारा यह जानते हुए विवादित आराजी के बाबत न्यायालय के समक्ष विवाद लम्बित है जिसमें खातेदारी अधिकारों का निर्णय होना है, बगैर अपीलांट को सुने ही बाला बाला में अपीलाधीन आदेश इंतकाल सं० 1858 रेस्पोंडेंट के हक में स्वीकृत कर दिया गया। जबकि अपीलांट का तलब कर सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिए था और जब तक विवादित आराजी के सम्बन्ध अंतिम तौर निस्तारण पक्षकारों के अधिकारों का नहीं हो जाता तब अपीलाधीन आदेश पारित नहीं करके पेडिंग रखना चाहिए था। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश इंतकाल सं. 1858 वाके ग्राम खोहरी दिनांक 16.06.2023 को रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 6 के हक में स्वीकृत किया गया वो विधि के खिलाफ एवं प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने कारण निरस्तनीय है। इस प्रकार समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट एग्रीवड है इसके लिए अलग से प्रार्थनापत्र 96 सी पी सी का प्रार्थनापत्र पेश है। अंत में अपीलांट वकील ने निवेदन किया कि इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर का निर्णय दिनांक 16.06.2023 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश कर जाहिर किया कि अपीलांट को न्यायालय राजस्व प्राधिकारी अलवर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को द्वितीय अपील न्यायालय माननीय राजस्व मंडल अजमेर में चुनौती देनी चाहिए थी। उनके आदेशानुसार ही उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो सकता है एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर के समक्ष विचाराधीन वाद के निस्तारण के पश्चात ही यदि न्यायालय सहायक कलेक्टर बानसूर अपीलांट के हक में कोई निर्णय व डिक्री पारित करते हैं तो उसकी अनुपालना में ही अपीलांट राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हकदार है। बिना सक्षम न्यायालय के पारित निर्णय व डिक्री को अपीलांट को उपरोक्त विरासत नामांतरण को चुनौती देने का कोई कानूनी हक हांसिल नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बिना किसी अधिकार के एवं विधि विरुद्ध होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 1858 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा उपहार पत्र का नामांतरण तस्दीक किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के द्वारा नामांतरण संख्या 1856 के संबंध में कोई अपील में आपत्ति/उज्रदारी पेश नहीं की है बल्कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों के संबंध में वर्णन/उज्रदारी किया है जिनके द्वारा पारित आदेशों की अपीलीय क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रश्नगत अपीलीय नामांतरण विरासत का है जो अपीलांट उक्त नामांतरण में जिसके पक्ष में नामांतरण खोला गया है उनके विधिक वारीसान ही उक्त नामांतरण को चुनौती दे सकते हैं। अपीलांट उक्त विरासत के नामांतरण संख्या 1858 में उनके कोई हित प्रभावित नहीं होना साबित होने तथा कोई विधिक वारीस नहीं होने से अपीलांट को विरासत के नामांतरण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(कल्पना अग्रवाल)  
**जिला कलेक्टर**  
**कलेक्ट्रेट, बाला**